न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 39/2020

उनवान

1 नौसर देवी पत्नी गोरधन जाति बैरवा निवासी ग्राम मावशिया, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरिये अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. धनपतनाथ पुत्र हीरानाथ जाति कालबेलिया निवासी ग्राम देवलिया, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: आदेश :–

दिनांक :– 4.11.20

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.04, 2129 रकबा 0.71, 2130 रकबा 0.01 व 2131 रकबा 0.50 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी के खातेदार गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ जाति कालबेलिया थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक 06.09.1989 को हो गया है जिसकी एकमात्र वारिस पत्नी नाथी है। आराजी मुतनाजा गणपतनाथ की विरासत से नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 20.11.10 को नाथी पत्नी गणपतनाथ के नाम दर्ज हुयी। तथा नाथी ने उचित प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजी मुतनाजा का बैचान प्रार्थी को कर दिया है व कब्जा व दखल भी प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया है। उक्त आराजी को हडपने के लिये गणपतनाथ के स्वर्गवास के 31 वर्ष बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने हाजा न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 134 की अपील पेश की जिस पर दिनांक 04.02.20 को आदेश पारित कर नामान्तकरण संख्या 134 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद को रिमाण्ड किया गया। जिसमें गणपतनाथ को जीवित बताकर दिनांक 18.8.20 को आदेश पारित किया गया व आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण करने पर आमादा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनाक 04.02.20 के विरूद्व माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के समक्ष अपील पेश कर दी गयी है जो विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर उक्त आदेश के कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा राजस्व अभिलेख का इन्द्राज परिवर्तित करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को अरिये अस्थायी निषेधज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा गणपतनाथ के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी। प्रार्थी ने उक्त आराजी हडपने के उद्देश्य से आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 को जीवित रहने के उपरान्त भी फौत बताते हुये उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 134 द्वारा फर्जी विरासत से नाथी देवी के नाम दर्ज करवा ली तत्पश्चात विक्रय पत्र से अपने नाम अंकित करवा ली। जिस कारण जवाबकर्ता ने एक अपील हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तकरण के विरूद्व पेश की। जिसे निर्णित करते हुये प्रकरण धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार नसीराबाद को प्रेषित किया गया। बाद साक्ष्य व जॉच से दिनांक 18.08.20 को तहसीलदार नसीराबाद ने निर्णय पारित कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के स्थान पर गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा गणपतनाळथ का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया है ना ही वारिसरन प्रमाण पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में जीवित है। अप्रार्थी घुम्मकड जाति का होने के कारण कमाने खाने बाहर गया था। प्रार्थी द्वारा उसे मृत बताकर भूमि अपने नाम करवा ली। उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के समक्ष अपील पेश कर दी गयी है जो विचाराधीन है। उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा यह वाद एवं स्थगन आदेश हाजा न्यायालय में पेश किया है। अतः उक्त वाद व प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने आर0आर0टी0 219 पेज 47 सये 49, पेज 593 से 594 आर0आर0डी0 पेज 266 से 269 की नजीर पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत नजीर का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा पूर्व मे गणपतनाथ पुत्र हीरानाथ के नाम खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 134 दिनाक 20.11.10 से उक्त आराजी जरिये विरासत नाथी पत्नी गणपतनाथ के नाम दर्ज की गयी व नाथी ने उक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र प्रार्थी को बैचान कर दी जिसका राजस्व अभिलेख मे अमल हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने हाजा न्यायालय मे नामान्तकरण संख्या 134 के विरूद्व अपील पेश कर निवेदन किया कि गणपतनाथ जीवित होने के उपरान्त फर्जी दस्तावेज से उसे मृत बता कर उसकी विरासत नाथी देवी के नाम दर्ज की गयी। तत्पश्चात नाथी देवी द्वारा उक्त आराजी प्रार्थी को बैचान कर दी हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील में आदेश पारित कर नामान्तकरण संख्या 134 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में आदेश पारित किया जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के समक्ष अपील पेश कर दी गयी है जो विचाराधीन है। उसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में एक नियमित वाद हाजा न्यायालय में पेश किया है जिसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में नियमित वाद पेश करना विधि के विपरित नही है किन्तु हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील का विस्तुत विवेचन कर आदेश पारित किया गया था तथा नामान्तकरण रिमाण्ड किया गया था। ऐसी स्थिति में नियमित वाद में उठाये गये तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रार्थी उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के आदेश की कियान्वति पर स्थगन चाहता है किन्तु तहसीलदार नसीराबाद के आदेश के विरूद्व अपीलीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम है जिस कारण अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का बैचान नही किया जा सकता है। मौके पर कब्जे के तथ्यों का निर्धारण स्थगन प्रार्थना पत्र में नही किया जा सकता है। प्रार्थी गणपतनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसान का विधिक प्रमाण पत्र पेश करने में असफल रहे है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थी द्वारा उक्त अराजी का बैचान नही किया जा सकता है। हाजा न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित आदेश की अपील अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। वाद अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। अतः अप्रार्थी को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर नामान्तकरण प्रकिया के सम्बन्ध में है जबकि प्रश्नगत प्रकरण स्थगन आदेश के सम्बन्ध में है। उक्त नजीर का विवेचन मूल वाद मे गुणावगुण पर ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही होती है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.04, 2129 रकबा 0.71, 2130 रकबा 0.01 व 2131 रकबा 0.50 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.11.06 16:58:20 IST
Reason: SelfAttested